उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः-3/2016/सी0एम0-29/24-पी-2-16-सा0(106)/2015

लखनऊः दिनांकः 17 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री बृज किशोर सिंह पुत्र श्री अनन्त सिंह] निवासी-बस्ती को तात्कालिक प्रभाव से एक वर्ष के लिए ऊर्जा विभाग का सलाहकार नामित किया जाता है।

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2016/सी0एम0-29(1)/24-पी-2-2016, तददिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- श्री बृज किशोर सिंह पुत्र श्री अनन्त सिंह] निवासी-बस्ती (उ0प्र0) ।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।
6- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
7- निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।
8- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-ओ0-56/सी0एम0-1/2016, दिनांक 16.02.2016 के संदर्भ में ।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-**57/MS/CM /2016,** दिनांक 16.02.2016 के संदर्भ में ।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
11- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, (केस्को), कानपुर।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

14- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

15- इरला चेक अनुभाग/वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

16- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस कार्यालय ज्ञाप को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) मे प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।